UPLK010179162023

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।

<u>सत्र वाद सं0 3023/2023</u>

सरकार **बनाम** इजहार खान

अ0सं0 169/2023

धारा–376,419,420,323,342,504,506 भा0द0सं0

तथा धारा 3(2)v, एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट

थाना–आलमबाग, लखनऊ।

<u>08–02–2023</u>

मुकदमा पुकारा गया। अभियुक्त इजहार खान जेरे हिरासत जेल से न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं। उसके अधिवक्ता भी न्यायालय में उपस्थित हैं।

न्यायालय के समक्ष विशेष लोक अभियोजक ने संक्षेप में उस साक्ष्य का कथन किया, जो दौरान विचारण अभियुक्त के विरुद्ध प्रस्तुत किया जाना है।

अभियोजन एवं अभियुक्त के अधिवक्ता को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन के उपरान्त मैं इस मत का हूँ कि अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376, 419, 420, 323, 342, 504, 506 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(2)v के अधीन आरोप विरचित किये जाने के आधार पर्याप्त हैं। तद्नुसार अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित किये गये। अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार किया और विचारण की याचना की।

पत्रावली तदैव साक्ष्य अभियोजन हेतु दिनांक 21.02.2024 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट),
लखनऊ।

UPLK010179162023

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।

<u>सत्र वाद सं0 3023/2023</u>

सरकार **बनाम** इजहार खान

अ0सं0 169/2023

धारा–376,419,420,323,342,504,506 भा0द0सं0

तथा धारा 3(2)V, एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट

थाना–आलमबाग, लखनऊ।

आरोप

मैं, दिनेश कुमार मिश्र, विशेष न्यायाधीश (एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट), लखनऊ एतद्द्वारा आप अभियुक्त इजहार खान को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँः–

प्रथमः यह कि तिथि समय अदम तहरीर पर, थाना आलमबाग, जिला लखनऊ सीमान्तर्गत किसी होटल में आप अभियुक्त इजहार खान द्वारा वादिनी मुकदमा आंचल के साथ बलात्कार किया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयः–यह कि विभिन्न तिथि व समय पर आप अभियुक्त इजहार खान द्वारा वादिनी मुकदमा आंचल को भिन्न–भिन्न नामों से सम्पर्क कर प्रतिरूपण द्व ारा छल कारित किया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो भा0द0सं0 की धारा–419 के अधीन दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीयःयह कि विभिन्न तिथि व समय पर आप अभियुक्त इजहार खान द्वारा वादिनी मुकदमा आंचल से छल करते हुए उससे सोने की चैन, अंगूठी, झाला व मु0 20,000 रूपये ले लिया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो भा0द0सं0 की धारा–420 के अधीन दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थःयह कि तिथि, समय व स्थान अदम तहरीर से पर आप अभियुक्त इजहार खान द्वारा वादिनी मुकदमा आंचल का बलात्कार कारित करने के आशय से व्यपहृत कर सदोष रूप से परिरोध में रखा। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो भा0द0सं0 की धारा–342 के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

पंचमःयह कि विभिन्न तिथि व समय पर आप अभियुक्त इजहार खान द्वारा वादिनी मुकदमा आंचल को मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो भा0द0सं0 की धारा–323 के अधीन दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

षष्टमः– यह कि विभिन्न तिथि, समय व स्थान पर आप अभियुक्त इजहार खान द्व ारा वादिनी मुकदमा आंचल को भद्दी–भद्दी गालियां देकर साशय प्रकोपित किया कि वह लोकशान्ति भंग करें। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

सप्तमःयह कि विभिन्न तिथि व समय पर आप अभियुक्त इजहार खान द्वारा वादिनी मुकदमा आंचल को जान से मारने की धमकी देकर आरपराधिक अभित्रास किया इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो भा0द0सं0 की धारा–506 के अधीन दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

अष्टमःयह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादिनी मुकदमा आंचल (जो अनुसूचित जाति की सदस्या है) से अभियुक्त इजहार खान द्वारा ऐसे ज्ञान व परिस्थितियों में सदोष परिरोध करते हुए मारापीटा, गाली गुप्ता दिया तथा बालात्कार का कृत्य किया। जो भारतीय दण्ड संहित के अधीन दस वर्ष की अवधि के कारावास से दण्डनीय अपराध है। इस प्रकार आपने एक ऐसा अपराध किया, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम धारा–3(2)(V) के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आप को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोपों हेतु आप का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

(दिनेश कुमार मिश्र)
दिनांकः 08–02–2024 विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
जे0ओ0 कोड यू0पी0 6085

अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे अभियुक्त ने इन्कार किया तथा विचारण की याचना की।

(दिनेश कुमार मिश्र)
दिनांकः 08–02–2024 विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
जे0ओ0 कोड यू0पी0 6085